न्यायालय :— विशेष न्यायाधीश, (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

(समक्ष :— इन्दु कान्त तिवारी)

CNR No.MP680100-4009-2025	Registration No.SC/23/2025
	CNR No.MP680100-4009-2025
	Filing No.SC/3170/2025
	Filing Date 02/07/2025

प्रारूप—घ

पुलिस थाना नेपानगर जिला—बुरहानपुर (म.प्र.) के अपराध क्र.—230/2025 अंतर्गत धारा 137(2), 96, 64(2)(जे), 64(2)(एम), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से उद्भूत विशेष प्रकरण।

अभियोजन	राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व अभियोजन द्वारा	श्री श्याम परमार, एडीपीओ/विशेष लोक अभियोजक।
— वि रू द्ध —	
अभियुक्तगण	1—अनिल पिता शेरसिंह डावर, उम्र—23 वर्ष, 2—जैमाल पिता शेरसिंह डावर, उम्र—31, दोंनो निवासी—जामनिया, थाना खकनार जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व अभियुक्तगण द्वारा—	श्री सूरज राठौर, अधिवक्ता।

(निर्णय)

(आज दिनांक— 31 / जूलाई / 2026 को घोषित)

1. अभियुक्त अनिल के विरूद्ध धारा 137(2), 96, 87, 64(2)(जे), 64(2)(एम), भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 06.05.

2025 को 1:00 बजे से 3:00 बजे के मध्य फरियादी का घर ग्राम मझगांव अंतर्गत थाना नेपानगर, जिला बुरहानपुर क्षेत्रांतर्गत 18 वर्ष से कम आयु की बालिका/अभियोक्त्री को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से संरक्षक की सहमति के बिना ले जाकर व्यपहरण कारित कर उक्त बालिका/अभियोक्त्री से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा, यह संभाव्य जानते हुए उक्त अभियोक्त्री को उसके माता–पिता के निवास स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित किया व उक्त बालिका/अभियोक्त्री को उसके माता–पिता/संरक्षक की विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसकी सम्मति के बिना विवाह करने के लिए अभियोक्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए या अयुक्त संभोग करने के लिए उसका व्यपहरण या अपहरण किया तथा उक्त बालिका/अभियोक्त्री को उसके माता–पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता में से उनकी सम्मति के बिना व्यपहरण या अपहरण कर उस पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उसें अमुल्ला रोड़ से मोटरसायकल पर बिठाकर ठुनकी जलगांव–जामोद महाराष्ट्र ले जाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध एवं सम्मति के बिना कई बार सम्भोग कर बलात्संग किया एवं उक्त बालिका/अभियोक्त्र का व्यवहरण या अपहरण कर उसके साथ एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर ''गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला'' कारित किया।

2. अभियुक्त जैमाल के विरूद्ध धारा 87 सहपठित धारा 3(5), 96 सहपठित धारा 3(5), 64(1) सहपठित धारा 49 भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 5(एल)/6 सहपठित धारा 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 06.05.2025 को 1:00 बजे से 3:00 बजे के मध्य फरियादी का घर ग्राम मझगांव अंतर्गत थाना नेपानगर, जिला बुरहानपुर क्षेत्रांतर्गत अन्य सहअभियुक्त अनिल के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित कर 18 वर्ष से कम आयु बालिका/अभियोक्त्री को उसकी सम्मति के बिना विवाह करने के लिए

उसको विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए या अयुक्त संभोग करने के लिए अभियोक्त्री को विवश या विक्षुब्ध करने के लिए या अभियोक्त्री को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विक्षुब्ध की जाएगी, उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अन्य सहअभियुक्त अनिल ने यह संभाव्य जानते हुए उसका व्यपहरण या अपहरण किया जिसमें सक्रिय सहयोग कारित कर उक्त बालिका/अभियोक्त्री को अन्य सहअभियुक्त अनिल के साथ मिलकर यह सामान्य आशय निर्मित किया कि उक्त बालिका/अभियोक्त्री को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा, यह संभाव्य जानते हुए उक्त अभियोक्त्री को उसके माता–पिता के निवास स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित किया, जिसमें सक्रिय सहयोग कारित किया तथा अन्य सहअभियुक्त अनिल के द्वारा उक्त बालिका/अभियोक्त्री को भगाने में सहायता कर बलात्संग करने हेतु सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध कारित किया एवं उक्त बालिका/अभियोक्त्री पर एक से अधिक बार ''प्रवेशन लैंगिक हमला'' कारित करने में सह अन्यअभियुक्त अनिल की सहायता अथवा आश्रय देकर दुष्प्रेरण का अपराध कारित किया।

3. न्यायदृष्टांत भूपेंद्र शर्मा विरूद्ध हिमाचल प्रदेश 2003 (8) एससीसी 551 व निपुण सक्सेना व अन्य विरूद्ध यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन सिविल 565/2012 मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में एवं धारा 337 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि इस मामले की पीड़िता/बालिका उक्त अधिनियम की धारा 2(घ) में यथा परिभाषित की पहचान प्रकट न हो, इस निर्णय में उसके नाम के स्थान पर बालिका अथवा अभियोक्त्री लिखा जावेगा तथा उसके माता–पिता व अन्य निकट संबंधी के नाम के स्थान पर बालिका से उनका रिश्ता व साक्षी क्रमांक का उल्लेख किया जावेगा और अभियोक्त्री के स्कूल का नाम

उल्लेखित न करते हुये विद्यालय उल्लेखित किया जावेगा।

4. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.05.2025 को पीड़िता का पिता ने थाना नेपानगर में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 05.05.2025 को रात्रि 9:00 बजे उसका पुरा परिवार खाना खाकर सो गया था, रात्रि करीबन 3:00 बजे उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी लड़की पीड़िता बिस्तर पर नहीं है, उसने उसकी पत्नी को जगाया एवं आसपास तलाश किया, कही नहीं मिली। उसने रिश्तेदारो में सभी जगह लताश किया किंतु कोई पता नहीं चला। उसे शंका है कि उसकी लड़की पीड़िता को कोई अज्ञात बदमाश बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। बालिका/अभियोक्त्री के पिता की उक्त मौखिक रिपोर्ट के आधार पर थाना नेपानगर में अपराध क्रमांक 230/2025 अंतर्गत धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–1) एवं गुमशुदगी रिपोर्ट (प्रदर्श पी–2) लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

5. विवेचना के दौरान घटनास्थल पर जाकर पीड़िता के पिता की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शामौका (प्रदर्श पी–3) बनाया गया। अभियोक्त्री के माता–पिता एवं अन्य साक्षियों से पूछताछ कर कथन लेखबद्ध किये। अभियोक्त्री को दिनांक 26.05.2025 को आरोपी अनिल के कब्जे से दस्तयाब कर दस्तायाबी पंचनामा (प्रदर्श पी–4) बनाया जाकर कथन (प्रदर्श डी–17) लेखबद्ध किये गये तथा अभियोक्त्री के न्यायालय में धारा 183 बीएनएसएस के तहत कथन (प्रदर्श डी–16) कराये जाने हेतु पत्र (प्रदर्श पी–17) जारी किया गया। अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराये जाने हेतु आवेदन (प्रदर्श पी–13ए) एवं रक्त नमूना प्रमाणन फार्म (प्रदर्श पी–14) तैयार कर मेडिकल परीक्षण हेतु जिला अस्पताल बुरहानपुर भेजा गया एवं मेडिकल परीक्षण उपरांत एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी–13) के साथ अभियोक्त्री के आर्टिकल जप्त कर जप्ती पंचनामा (प्रदर्श पी–15) तैयार किया गया।

अभियोक्त्री से संबंधित कार्यवाही हो जाने के उपरांत अभियोक्त्री को उसके माता–पिता के सुपुर्द किया गया। अभियोक्त्री के जन्म के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु संबंधित स्कूल को पत्र (प्रदर्श पी–16) जारी कर अभियोक्त्री से संबंधित स्कूल द्वारा अभियोक्त्री का दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति (प्रदर्श पी–12सी) प्रस्तुत करने पर उसे जप्त कर जप्ती पंचनामा (प्रदर्श पी–11) तैयार किया गया। अभियोक्त्री के कथनों के आधार पर अभियुक्तगण अनिल एवं जैमाल के विरूद्ध धारा 96, 64(2)(जे), 64(2)(एम), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को संयोजित किया गया।

6. विवेचना के दौरान अभियुक्तगण अनिल एवं जैमाल को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः (प्रदर्श पी–5) एवं (प्रदर्श पी–6) तैयार किये गये एवं गिरफ्तारी की सूचना (प्रदर्श पी–18) उनके परिजन को दी गई। अभियुक्त अनिल का मेमोरेण्डम (प्रदर्श पी–7) लिया गया। अभियुक्त अनिल का मेडिकल परीक्षण कराये जाने हेतु रक्त नमूना प्रमाणन फार्म (प्रदर्श पी–10) तैयार कर सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र नेपानगर भेजा गया एवं अस्पताल से टाईपशुदा एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श पी–9) के साथ अभियुक्त अनिल के आर्टिकल जप्त कर जप्ती पंचनामा (प्रदर्श पी–16ए) तैयार किया गया। आरोपी अनिल से मोटरसायकल क्रमांक एमपी–68 एमजे–0859 जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–8) तैयार किया गया। पीड़िता एवं अभियुक्त अनिल के मेडिकल परीक्षण उपरांत जप्तशुदा आर्टिकल को डीएनए परीक्षण हेतु ड्राफ्ट (प्रदर्श पी–19) तैयार कर क्षेत्रीय न्यायालयीक विज्ञान प्रयोग शाला झुमरघाट राउ इंदौर भेजे गये, जिसकी जमा रसीद (प्रदर्श पी–20) प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न की गई। डीएनए परीक्षण उपरांत प्राप्त रिपोर्ट (प्रदर्श पी–21) प्राप्त की गई तथा अनुसंधान की शेष औपचारिकताएं पूर्ण कर विशेष न्यायालय में अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

7. न्यायालय द्वारा अभियुक्त अनिल के विरूद्ध धारा 137(2), 96, 87, 64(2)(जे), 64(2)(एम), भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं अभियुक्त जैमाल के विरूद्ध धारा 87 सहपठित धारा 3(5), 96 सहपठित धारा 3(5), 64(1) सहपठित धारा 49 भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 5(एल)/6 सहपठित धारा 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाने पर अभियुक्तगण द्वारा निर्दोषिता का अभिवाक् करते हुए आरोप अस्वीकार किया। धारा 351 बीएनएसएस के अंतर्गत अभियुक्तगण के कथन अंकित कराये गये, अभियुक्त परीक्षण के दौरान अभियुक्तगण ने इस आशय के कथन किये है कि वह निर्दोष है उन्हें झुठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण की और से बचाव में साक्षी सूर्यभान ब.सा.–1 को परीक्षित कराया गया है।

8. अभियुक्तगण के आपराधिक उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारीण है कि :–

1	क्या घटना दिनांक 06.05.2025 को बालिका की आयु 18 वर्ष से कम होकर वह अधिनियम की धारा 2(घ) के तहत ''बालक'' की श्रेणी में आती थी ?
2	क्या अभियुक्त अनिल ने घटना दिनांक 06.05.2025 को 1:00 बजे से 3:00 बजे के मध्य फरियादी का घर ग्राम मझगांव अंतर्गत थाना नेपानगर जिला बुरहानपुर क्षेत्रांतर्गत 18 वर्ष से कम आयु की बालिका/अभियोक्त्री को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाकर व्यपहरण कारित किया ?
3	क्या अभियुक्त अनिल ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त बालिका/अभियोक्त्री को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा, यह संभाव्य

	जानते हुए अभियोक्त्री को उसके माता–पिता के निवास स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित किया तथा अन्य सहअभियुक्त जैमाल ने सक्रिय सहयोग कारित किया ?
4	क्या अभियुक्त अनिल ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त बालिका/अभियोक्त्री को उसके माता–पिता/संरक्षक की विधिपूर्ण संरक्षकता में से उनकी सम्मति के बिना विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए या अयुक्त संभोग करने के लिए उसका व्यपहरण या अपहरण किया तथा अन्य सहअभियुक्त जैमाल ने सक्रिय सहयोग कारित किया ?
5	क्या अभियुक्त अनिल ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त बालिका/अभियोक्त्री को उसके माता–पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता में से उनकी सम्मति के बिना व्यपहरण या अपहरण कर उस पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उसें अमुल्ला रोड़ से मोटरसायकल पर बिठाकर ठुनकी जलगांव–जामोद महाराष्ट्र ले जाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध एवं सम्मति के बिना कई बार सम्भोग कर बलात्संग किया उक्त कृत्य में अन्य सहअभियुक्त जैमाल ने सह अभियुक्त अनिल की सहायता द्वारा सक्रिय सहयोग कारित किया ?
6	क्या अभियुक्त अनिल ने उक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त बालिका/अभियोक्त्री का व्यवहरण या अपहरण कर उसके साथ एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर ''गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला'' कारित किया उक्त कृत्य में अन्य सहअभियुक्त जैमाल ने सह अभियुक्त अनिल की सहायता द्वारा सक्रिय सहयोग कारित किया ?

–:: निराकरण तथा निष्कर्ष के आधार ::–

विचारणीय प्रश्न क्र. 1 :–

9. प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(एल)/6 सहपठित धारा 17 के अपराध का आरोप है। उक्त आरोप प्रमाणित करने के लिये अभियोजन की ओर से यह साबित किया जाना आवश्यक है कि घटना के समय बालिका की आयु 18 वर्ष से कम थी। इसलिये सर्वप्रथम बालिका की आयु का अवधारण किया जाना है तथा यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन यह प्रमाणित कर सका है कि घटना के समय बालिका की आयु 18 वर्ष से कम थी।

10. **''अधिनियम''** की धारा 2(1)(डी) के अनुसार **''बालक''** से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के अंतर्गत किसी व्यक्ति के बालक होने या न होने संबंधी प्रश्न का अवधारण कारणो को लेखबद्ध करते हुये विशेष न्यायालय द्वारा किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

11. यह उल्लेखनीय है कि आयु के अवधारण के संबंध में न्यायदृष्टांत ''जर्नेलसिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा (2013) 7 एससीसी 263'' में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित बालक/बालिका की आयु किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2000 की धारा 68 के अंतर्गत विरचित किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम, 2007 के नियम 12 के अनुसार अभिनिर्धारित की जानी चाहिए। इसी संबंध में न्यायदृष्टांत महादेव विरूद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2013) 14 एससीसी 637 एवं म.प्र. राज्य विरूद्ध अनूपसिंह 2015 लॉ सूट सुप्रीमकोर्ट 615 अवलोकनीय है।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णयों के पश्चात किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 निरसित हो चुका है तथा दिनांक 15.01.2016 से नवीन ''किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015'' प्रभावी हो चुका है। पुराने नियम 12 के स्थान पर आयु विनिश्चय किये जाने हेतु प्रावधान उक्त नवीन अधिनियम, 2015 की धारा 94 में अधिनियमित किये गये है। इसलिये उपरोक्त विधि के आलोक में बालिका की आयु के विनिश्चय के लिये धारा 94 ''किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015'' के प्रावधानों की सहायता ली जा सकती है।

13. घटना के समय प्रभावी किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 की धारा 94 में आयु को विनिश्चय विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र उपलब्ध होने पर सर्वप्रथम उनके आधार पर किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त विधि के आलोक में बालिका की आयु के संबंध में अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य पर विचार करना होगा।

14. प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(एल)/6 सहपठित धारा 17 का आरोप है। उक्त आरोप के लिए अभियोक्त्री की आयु धारा 2(1)(डी) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अनुसार प्रमाणित करने के संबंध में अभियोजन द्वारा अभियोक्त्री के दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्र.पी. 12सी प्रस्तुत की गई है, जिसके संबंध में भुवानसिंह डावर, प्रभारी प्राचार्य (अ.सा.–5) ने मूल दाखिल खारिज रजिस्टर साथ लाकर कथन किया है कि वह अभियोक्त्री के विद्यालय (पहचान गोपनीय रखने की दृष्टि से स्कूल के नाम का उल्लेख नहीं किया गया) में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर वर्ष 2007 से पदस्थ होकर वर्तमान में संकुल प्राचार्य के रूप में कार्यरत् है। थाना नेपानगर से पीड़िता से संबंधित दाखिल

खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्रदान करने के लिए पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके पालन में पीड़िता से संबंधित दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्रदान की थी, जिसे पुलिस ने जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 11 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विद्यालय के मूल दाखिल खारिज रजिस्टर के दाखिल क्र. 2981 पर पीड़िता का नाम, पीड़िता के माता–पिता का नाम एवं जन्म दिनांक 15.05.2007 अंकित है। मूल रजिस्टर प्र.पी. 12 एवं सत्यापित प्रति प्र.पी. 12सी है, जिनके ए से ए भाग के मध्य पीड़िता से संबंधित विवरण अंकित होकर बी से बी भाग पर जन्म तिथि अंकित की गई है।

15. जप्तीकर्ता हेमेन्द्रसिंह चौहान, उपनिरीक्षक (अ.सा.–9) का कथन है कि वह दिनांक 27.06.2026 को पुलिस चौकी नावरा, थाना नेपानगर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना नेपानगर के अपराध क्र. 230/2025 में पीड़िता की उम्र के संबंध में संबंधित स्कूल से दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्रदान करने के लिए लिखा गया पत्र प्र.पी. 16 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। स्कूल के प्राचार्य द्वारा पीड़िता से संबंधित दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्र.पी. 12सी प्रस्तुत की थी, जिसे साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 11 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

16. किसी भी बालक की आयु के सर्वोत्तम साक्षी उसके माता–पिता होते है। अभियोक्त्री का पिता (अ.सा.–01) का न्यायालयीन कथन है कि पीड़िता उसकी लड़की है, पीड़िता की आयु घटना के समय 17 वर्ष होकर कक्षा 12 वीं में पढ़ रही थी। अभियोक्त्री की माता (अ.सा.–02) का न्यायालयीन कथन है कि पीड़िता उसकी लड़की है, पीड़िता की आयु घटना के समय 18 वर्ष नहीं हुई थी, नाबालिग थी, पीड़िता कक्षा 12 वीं तक पढ़ी है। अभियोक्त्री स्वयं (अ.सा.–03) का न्यायालयीन कथन है कि उसकी वर्तमान आयु 18 वर्ष है, दिनांक 25.05.2025 को घटना के

समय 17 वर्ष थी, वह कक्षा 12 वीं तक पढ़ी है।

17. अभियोजन की ओर से तर्क किया गया है कि स्वयं बचाव पक्ष के बचाव अनुसार पीड़िता दिनांक 16.05.2025 को बालिग हुई और उसने विवाह कर लिया है। इस प्रकार घटना दिनांक 05.05.2025 को पीड़िता अवयस्क होना प्रमाणित है। दाखिल खारिज रजिस्टर एवं पीड़िता के माता–पिता ने घटना दिनांक को अवयस्क होने के कथन किए है। अतः पीड़िता अवयस्क होना प्रमाणित है।

18. बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि पीड़िता का अवयस्क होने का प्रमाणन भार अभियोजन पर है। बचाव पक्ष परस्पर अंतर्विरोधी एवं भिन्न–भिन्न बचाव ले सकता है, उसके किसी बचाव या सुझाव के आधार पर अभियोजन अपने दायित्व से उन्मोचित नहीं हो जाता है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दाखिल खारिज रजिस्टर प्र.पी. 12सी को प्रमाणित करने हेतु उपस्थित अभियोजन साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उल्लेखित जन्म तिथि बिना किसी आधार के और अंदाजन लेख कराई गई है। अभियोजन द्वारा जन्म प्रमाण पत्र अथवा हायर सेकण्ड्री स्कूल की अंकसूची अथवा प्रमाण पत्र को प्रस्तुत कर जन्म तिथि को प्रमाणित नहीं किया गया है। पीड़िता के माता एवं पिता के प्रतिपरीक्षण में पीड़िता को वयस्क होने का तथ्य आया है। अतः अभियोजन अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों से पीड़िता को अवयस्क होना प्रमाणित करने में असफल रहा है।

19. उभयपक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण है कि पीड़िता का अवयस्क होने का प्रमाणन भार अभियोजन पर है। बचाव पक्ष के किसी सुझाव व परस्पर अंतर्विरोधी बचाव के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। प्रथमतः अपने दायित्व अथवा प्रमाणन भार का वहन करें, उसके पश्चात ही बचाव पक्ष के द्वारा लिये गये अवलम्बन को विचार में लिया जाना साक्ष्य सम्मत है। अतः उक्त संपूर्ण परिस्थितियों में अभियोजन साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाना न्यायोचित है।

20. पीड़िता के पिता अ.सा. 1 ने प्रतिपरीक्षण की पैरा 8 में स्वीकार किया है कि

उसकी शादी को लगभग 23 वर्ष हो गये है तथा यह भी स्वीकार किया है कि शादी के दो साल बाद बड़ी पुत्री और उसके लगभग डेढ़ वर्ष बाद छोटी पुत्री अर्थात पीड़िता का जन्म हुआ है। यह भी स्वीकार किया है कि पीड़िता की जन्म तारीख उसे नहीं मालूम है, उसकी पुत्री पीड़िता का जन्म उसके गांव में ही हुआ है तथा गांव में बच्चे के जन्म के बाद जन्म तरीख कोटवार अपनी डायरी में लिखता है तथा संबंधित विभाग स्वास्थ केन्द्र एवं पंचायत में सूचना देता है। प्रतिपरीक्षण की पैरा 9 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को जन्म प्रमाण पत्र जप्त नहीं कराया है। यह भी स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री पीड़िता का दाखिला कराने के लिए उसके पिताजी गये थे। यह भी स्वीकार किया है कि पीड़िता की जन्म तारीख स्कूल में मास्टर ने किस आधार पर लिखी है वह नहीं बता सकता है। यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिताजी जन्म के संबंध में दाखिला कराने के लिए जन्म प्रमाण पत्र लेकर नहीं गये थे। प्रतिपरीक्षण की पैरा 10 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि मास्टर ने स्कूल में उसकी पुत्री पीड़िता की जन्म तारीख किस आधार पर लिखी है, इस संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है।

21. पीड़िता की माता अ.सा. 2 ने प्रतिपरीक्षण की पैरा 5 में स्वीकार किया है कि उसकी शादी को लगभग 23–24 वर्ष हो गये है, शादी के दो साल बाद उसे पहली पुत्री तथा पहली पुत्री के दो–ढ़ाई साल बाद पीड़िता का जन्म हुआ है। यह भी स्वीकार किया है कि पीड़िता के जन्म के संबंध में उनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तथा मास्टर ने उसकी पुत्री पीड़िता की जन्म तारीख अंदाज से लिखी है।

22. पीड़िता का पिता अ.सा. 1 एवं पीड़िता की माता अ.सा. 2 के प्रतिपरीक्षण में आये तथ्य कि उनका विवाह 23–24 वर्ष पूर्व हुआ था और विवाह के दो वर्ष में प्रथम पुत्री तथा उसके लगभग डेढ़ वर्ष बाद पीड़िता का जन्म हुआ था, को देखते हुए पीड़िता वर्तमान में लगभग 19–20 वर्ष के मध्य की आयु की होना निष्कर्षित है। इस प्रकार घटना दिनांक जो साक्ष्य तिथि से लगभग 04 माह पूर्व की है, के

समय भी पीड़िता की आयु लगभग 19 वर्ष की होना निष्कर्षित है। पीड़िता के माता–पिता ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि स्कूल में पीड़िता का नाम लिखाते समय जन्म तिथि अंदाज से लेख कराई गई है। उक्त तथ्य के परिप्रेक्ष्य में दाखिल खारिज रजिस्टर में उल्लेखित जन्म तिथि का विश्लेषण किया जाना न्यायोचित है।

23. पीड़िता की जन्म तिथि के संबंध में अभियोजन के द्वारा दाखिल खारिज रजिस्टर प्र.पी. 12सी को प्रमाणित करने हेतु साक्षी भुवानसिंह डावर अ.सा. 5 के कथन कराये गये है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की पैरा 3 में स्वीकार किया है कि प्र.पी. 12 एवं प्र.पी. 12सी में जो पीड़िता की जन्म तारीख अंकित की गई है वह पूर्व स्कूल की टीसी के आधार पर की गई है, पूर्व स्कूल की टीसी में पीड़िता की जन्म तारीख टीचर ने किस आधार पर लिखी है वह नहीं बता सकता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि टीसी में भी इस बात का उल्लेख नहीं होता है कि पीड़िता की जन्म तारीख किस आधार पर पूर्व प्रधान पाठक द्वारा लेखबद्ध की गई है। प्रतिपरीक्षण की पैरा 4 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि नावरा क्षेत्र आदिवासी बेल्ट है तथा स्कूल में जब भी माता–पिता बच्चो का दाखिला कराने के लिए आते है तो जन्म संबंधी कोई प्रमाण पत्र लेकर नहीं आते है, मास्टर या टीचर बच्चो की जन्म तारीख अंदाज से लिखते है। यह भी स्वीकार किया है कि टीसी में यदि जन्म तारीख गलत लिखी हो तो वह नहीं बता सकता है। इस प्रकार स्वयं अभियोजन साक्षी ने प्र.पी. 12सी के दाखिला रजिस्टर में पीड़िता की जन्म तारीख किसी प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर लिखी जाने के संबंध में विरोधाभाषी एवं विपरीत कथन करते हुए उक्त जन्म तिथि को निश्चितता के साथ प्रमाणित नहीं कर सका है। दाखिला रजिस्टर प्र.पी. 12सी में उल्लेखित जन्म तिथि निराधार होना और अंदाजन लिखाये जाने का तथ्य निष्कर्षित है। अतः दाखिल खारिज रजिस्टर में अभियोक्त्री की जो जन्म तारीख बताई गई है वह विश्वसनीय योग्य नहीं है।

24. उक्त संपूर्ण विश्लेषण से अभियोक्त्री के माता–पिता कथनो में प्रतिपरीक्षण में आए तथ्यों से अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से अधिक होने के संबंध में स्पष्ट तथ्य परिस्थितियां है। शाला प्रविष्टि दाखिल खारिज रजिस्टर प्र.पी. 12 एवं प्र.पी. 12सी में अभियोक्त्री की जन्म तारीख किस आधार पर अंकित की गई है इसका कोई विवरण नहीं है और प्रकरण में पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र को साक्ष्य में प्रदर्शित कर प्रमाणित नहीं किया गया है। जिससे दर्शित है कि शाला प्रविष्टि पर अभियोक्त्री की जन्मतिथि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित किए जाने का उल्लेख नहीं है तथा अभियोक्त्री के माता–पिता, अभियोक्त्री स्वयं के प्रतिपरीक्षण में आये तथ्यों से अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से अधिक होना निष्कर्षित है। उक्त संपूर्ण विश्लेषण से प्रस्तुत शाला प्रविष्टि पर अंकित जन्म दिनांक अभियोक्त्री के माता–पिता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एवं अभियोक्त्री के जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित करना दर्शित नहीं होता है, जिससे प्रस्तुत शाला प्रविष्टि का कोई साक्षिक मूल्य नहीं रह जाता है। अतः उक्त संपूर्ण विश्लेषण से जबकि अभियोजन अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों से पीड़िता की जन्म तिथि दिनांक 15.05. 2007 को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, तब ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष के किसी अंतर्विरोधी बचाव के आधार पर पीड़िता को अवयस्क माना जाना साक्ष्य सम्मत नहीं है।

25. जप्ती अनुसंधान अधिकारी हेमेन्द्रसिंह चौहान, उपनिरीक्षक अ.सा. 09 के द्वारा पीड़िता का जन्म प्रमाण पत्र को साक्ष्य में प्रदर्शित कराते हुवे जन्म तिथि को निश्चायक रूप से प्रमाणित नहीं कराया गया है। शाला रजिस्टर की प्रविष्टि उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में बिना किसी आधार के अंकित होना निष्कर्षित है। अतः उक्त विवेचना में शाला प्रविष्टि के आधार पर निश्चायक रूप से जन्म दिनांक प्रमाणित करने के बिंदु पर साक्ष्य में विरोधाभास एवं विलुप्ति है।

26. धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख संरक्षण) अधिनियम, 2015 के

अनुसार अभियोक्त्री की आयु का निर्धारण–

(i)–विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षण बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में,

(ii)–निगम या नगर पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र,

(iii)–उपरोक्त 1 व 2 के अभाव में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गई अस्थि जांच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जांच के आधार पर किया जाएगा।

27. अभिलेख पर पीड़िता की जन्म तिथि के संबंध में पीड़िता की आयु अवयस्क होना संदेह से परे प्रमाणित करना आवश्यक है। पीड़िता के शाला अभिलेख में लेख जन्म तिथि के संबंध में कोई भी प्रमाण पत्र अथवा आधार नहीं होने एवं उसके पालक, जन्मदाता के द्वारा भी कोई आयु सुनिश्चित न होने से शाला अभिलेखों पर भी विश्वास किया जाना उचित नहीं है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **''विजय उर्फ चीकू आत्मज हरनारायण छारी वि. स्टेट ऑफ एम.पी. पुलिस थाना दतिया क्रिमिनल अपील नंबर 4693/20–21 निर्णय दिनांक 27.03.2023''** विशेष रूप से अवलोकनीय है।

28. इस संबंध में **न्यायदृष्टांत ''सुनिल वि. स्टेट ऑफ हरियाणा, (2010) 1 एससीसी 742''** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिमत प्रतिपादित किया है कि :– Bishan, PW 8, the father of the prosecutrix has also not been able to give correct date of birth of the prosecutrix. In his statement he clearly stated that he is giving an approximate date without any basis or record. In a criminal case, the conviction of the appellant cannot be based on an approximate

date which is not supported by any record. It would be quite unsafe to base conviction on an approximate date.

29. इस संबंध में न्यायदृष्टांत ''**संजीव कुमार गुप्ता वि. स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश व अन्य 2019 एससीसीस ऑनलाईन एससी 926''** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया है कि स्कूल के रिकार्ड में जन्म तिथि बिना किसी आधारभूत दस्तावेजों में लेख की गई हो तो उसे प्रमाणित या विश्वसनीय होना स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

30. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आधार पर यह निष्कर्षित किया जाता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत शाला प्रविष्टि दाखिल खारिज रजिस्टर का खंडन अभियोजन साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण के दौरान किया गया है, जिससे प्रस्तुत शाला प्रविष्टि विश्वसनीय दर्शित नहीं होता है। अतः अभियोजन द्वरा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर घटना दिनांक 06.05.2025 को अभियोक्त्री की आयु 18 वर्ष से कम होना साबित नहीं पाया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के मूल्यांकन एवं साक्षीगण के कथनों, न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों के आधार पर यह साबित नहीं होता है कि अभियोक्त्री की आयु घटना दिनांक को 18 वर्ष से कम होकर उसकी जन्म दिनांक 15.05.2007 थी।

31. अतः अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 2(1)(डी) की परिभाषा के अनुसार अवयस्क थी एवं **''बालक''** की श्रेणी के अंतर्गत आती है।

<u>**विचारणीय प्रश्न क्र. 02 लगायत 06 :–**</u>

32. उक्त सभी विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने तथा एक ही साक्ष्य श्रंखला पर आधारित होने के कारण साक्ष्य विश्लेषण की पुनरावृत्ति को अपवर्जित करने के आशय से उक्त सभी विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्ष्य का विश्लेषण एक साथ

किया जा रहा है।

33. अभियोक्त्री स्वयं अ.सा. 3 ने इस आशय के न्यायालयीन कथन किए हैं कि वह अभियुक्तगण अनिल एवं जैमाल को पहचानती है। दिनांक 05.05.2025 को वह 17 वर्ष की थी, तब उसे पता नहीं था अनिल उसे ब्लेकमेल करता था ओर उसे धमकियां देने लगा तो वह उसके साथ भागकर चली गई थी, उसने बोला था कि उसके साथ आ जा नहीं तो मर जायेगा। अभियुक्त ने उसे अमुल्ला रोड़ पर आने के लिए कहा था वह अमुल्ला रोड़ पर गई। अनिल उसे लेने मोटरसायकल से आया था। अनिल उसे महाराष्ट्र में उसके भाई जैमाल के घर ले गया था, वहां ले जाकर पत्नी की तरह रखा ओर जबरजस्ती की। उसके बाद पता चला कि उसके माता–पिता ने रिपोर्ट लिखाई है उन्हें थाने बुलाया गया है, वह अनिल एवं उसके भाई के साथ नेपानगर थाने पर पहुंचे। वहां पर पुलिस ने पूछताछ की उसके बाद थाने पर दो दिन रखा था। पुलिस ने पंचनामा भी बनाया था, दस्तयाबी पंचनामा प्र. पी. 4 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके बाद पुलिस ने उसके माता–पिता के सुपुर्द कर दिया था। पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई थी, उसका मेडिकल परीक्षण हुआ था।

34. अभियोक्त्री का पिता अ.सा. 1 ने इस आशय के न्यायालयीन कथन किए हैं कि आरोपीगण अनिल एवं जैमाल के मामा उसके गांव में है वहां पर आना–जाना था इसलिये पहचानता है। पीड़िता उसकी लड़की है। घटना मई माह की बात है तारीख याद नहीं है। रात्री में खाना खाकर वह परिवार सहित 9:00 बजे के लगभग सो गया था पीड़िता भी सोई थी। रात्री लगभग 3:00 बजे उसकी निंद खुली उसने देखा कि पीड़िता बिस्तर पर नहीं थी, उसने उसकी पत्नी को उठाकर इधर–उधर ढुंडा कहीं पता नहीं चला। सुबह होने पर आसपास रिश्तेदारो में सभी जगह तलाश किया कोई पता नहीं चला। 1–2 दिन तलाश करते रहे पीड़िता के नहीं मिलने पर थाना नेपानगर में जाकर रिपोर्ट लिखाई थी, रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं गुम इंसान प्र.पी. 2

के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस घटना स्थल पर आई थी उसने घ ाटना स्थल दिखाया था, घटना स्थल का नक्शामौका प्र.पी. 3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। रिपोर्ट लिखाने के लगभग 3 से 4 दिन बाद पीड़िता को पुलिस वाले ढुंडकर लाये थे। पीड़िता अनिल डावर के पास मिली थी, पुलिस ने उसे भी थाने बुलाया था। पुलिस ने पंचनामा बनाया था, दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी. 4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस वाले उसकी लड़की पीड़िता को बुरहानपुर अस्पताल मेडिकल हेतु लेकर आये थे। पुलिस उसकी लड़की पीड़िता को कोर्ट में बयान हेतु लेकर गये थे कि नहीं उसे नहीं मालूम। पीड़िता ने बताया था कि अनिल उसे जबरजस्ती महाराष्ट्र ले गया था और इसके अलावा उसकी लड़की ने कुछ नहीं बताया था। पुलिस ने अभियुक्त अनिल डावर एवं जैमाल डावर को गिरफ्तार किया था, गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 5 एवं प्र.पी. 6 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके सामने पीड़िता से पूछताछ की थी और किसी ने पूछताछ नहीं की थी। मेमो रेण्डम प्र.पी. 7 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने कोई जप्ती नहीं हुई थी, जप्ती पंचनामा प्र.पी. 8 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

35. उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सुझाव देने पर उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पीड़िता ने उसे एवं उसकी पत्नी को बताया था कि अनिल डावर उसे बहला फुसलाकर अपने साथ मोटरसायकल पर बिठाकर अपने बड़े भाई जैमाल डावर के घर ठुनकी जलगांव जामोद ले गया था और अनिल डावर ने उसके साथ शादी का झांसा देकर जबरजस्ती शारिरीक संबंध बनाये थे। इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि पीड़िता ने बताया था कि अनिल डावर के भाई जैमाल डावर को घटना के संबंध में जानकारी होने के पश्चात भी अपने घर में रहने दिया और अनिल डावर का सहयोग किया।

36. अभियोक्त्री की माता अ.सा. 2 ने इस आशय के न्यायालयीन कथन किए हैं कि वह अभियुक्तगण अनिल एवं जैमाल को पहचानती है उनके रिश्तेदार हैं।

पीड़िता उसकी लड़की है। घटना साक्ष्य तिथि से लगभग 3–4 माह पूर्व की है। घटना वाले दिन रात में वह खाना खाकर बाहर सोये हुवे थे, पीड़िता भी सोई हुई थी। रात्री में लगभग 3:00–4:00 बजे उसके पति ने उसे जगाया और बोला कि पीड़िता नहीं है, उन्होंने पीड़िता की तलाश किया नहीं मिली, नावरा चौकी जाकर गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाई थी। रिपोर्ट लिखाने के दस दिन बाद पुलिस वाले पीड़िता को ढुंढ़कर लाये थे, पीड़िता अनिल के पास मिली थी। पीड़िता के मिलने पर उन्हें थाने बुलाया था। पुलिस ने उसके सामने पंचनामा बनाया था, पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल ले गये थे। पीड़िता का मेडिकल हुआ था एवं पीड़िता से संबंधित कार्यवाही होने के बाद पुलिस ने पीड़िता को उनके सुपुर्द किया था। पीड़िता ने आकर बताया था कि अनिल उसे ले गया था ओर उसके भाई जैमालसिंह के यहा रखा। पीड़िता ने बताया था कि अभियुक्त ने उसके साथ गलत किया था।

37. प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्धकर्ता उपनिरीक्षक, मनीष पटेल अ.सा. 10 का न्यायालयीन कथन है कि वह दिनांक 11.05.2025 को पुलिस चौकी नावरा, थाना नेपानगर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पीड़िता के पिता थाने आकर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पीड़िता को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाने पर उसके द्वारा थाना नेपानगर के अपराध क्र. 230/2025 अंतर्गत धारा 137 (2) भारतीय न्याय संहिता के तहत रिपोर्ट प्र.पी. 1 दर्ज की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त फरियादी द्वारा पीड़िता की गुम होने की सूचना दिये जाने पर उसके द्वारा गुम इंसान क्र. 36/2025 पर दर्ज की थी। फरियादी पीड़िता के पिता से पूछताछ कर बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। प्रतिपरीक्षण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं गुम इंसान रिपोर्ट प्र.पी. 2 दर्ज करने का तथ्य प्रमाणित रहा है, ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जिससे प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं गुम इंसान रिपोर्ट को फर्जी एवं कूटरचित कहा जा सके।

38. उक्त साक्षी ने आगे यह भी अभिकथन किया है कि अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी–3 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पीड़िता से पूछताछ कर बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे। पीड़िता, अभियुक्त अनिल के साथ थाने पर उपस्थित होने पर अभियुक्त अनिल के कब्जे से दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा प्रपी–4 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पीड़िता से महिला अधिकारी द्वारा पूछताछ की गई थी। पीड़िता के धारा 183 बीएनएसएस के तहत कथन कराये जाने हेतु न्यायालय भेजा गया था, न्यायालय भेजने का पत्र प्रपी–17 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराये जाने हेतु मेडिकल परीक्षण फार्म प्र.पी. 13ए भरकर जिला अस्पताल बुरहानपुर भेजा गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पीड़िता का डीएनए परीक्षण हेतु रक्त नमूना लेने संबंधी रक्त नमूना प्रमाणन फार्म प्र.पी. 14 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पीड़िता के माता–पिता से अतिरिक्त पूछताछ कर बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किए थे।

39. उक्त साक्षी ने आगे यह भी अभिकथन किया है कि अभियुक्त अनिल डावर को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी–5 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त अनिल से पूछताछ कर बताये अनुसार मेमोरेण्डम प्रपी–7 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। मेमोरेण्डम में अभियुक्त ने अपराध में प्रयुक्त मोटरसायकल जप्त करा देने वाली बात बतायी थी, जिसके अनुसार अभियुक्त अनिल द्वारा मोटरसायकल क्रमांक एमपी 68 एम 0659 प्रस्तुत करने पर साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रपी–8 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। सहअभियुक्त जैमाल डावर को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रपी–6 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्तगण अनिल एवं जैमाल की गिरफ्तारी की सूचना प्र.पी. 18 उनके परिवार

वालो को दी गई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

40. उक्त साक्षी ने आगे यह भी अभिकथन किया है कि अभियुक्त अनिल का मेडिकल परीक्षण कराये जाने एवं डीएनए परीक्षण हेतु रक्त नमूना लिए जाने हेतु सीएचसी नेपानगर भेजा गया था। अभियुक्त अनिल का डीएनए परीक्षण हेतु रक्त नमूना लेने संबंधी रक्त नमूना प्रमाणन फार्म प्र.पी. 10 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त अनिल एवं पीड़िता के मेडिकल परीक्षण से जप्तशुदा नमूनें एवं रक्त नमूनों को डीएनए परीक्षण कराये जाने हेतु कार्यालय पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर के एफएसएल ड्राफ्ट क्रमांक 96/2025 दिनांक 28.05.2025 प्रपी–19 द्वारा क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोग शाला झुमरघाट राउ इंदौर भेजे गये थे। प्रयोगशाला से जमा रसीद प्र.पी. 20 प्राप्त हुई थी। प्रयोगशाला से परीक्षण उपरांत प्राप्त रिपोर्ट प्र.पी. 21 होकर प्रकरण में संलग्न है। अनुसंधान के दौरान आयी साक्ष्य के आधार पर धारा 96, 64(2)(जे), 64(2)(एम), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 बढ़ायी गयी थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी स्थिर रहा है, कोई खंडनकारी तथ्य परिस्थिति नहीं आई है।

41. महिला आरक्षक, पूनम बघेल अ.सा. 12 का न्यायालयीन कथन है कि वह दिनांक 27.05.2025 को थाना नेपानगर में महिला आरक्षक के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को थाना नेपानगर के अपराध क्र. 230/2025 में पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु जिला अस्पताल लेकर गयी थी। जिला अस्पताल से पीड़िता के मेडिकल परीक्षण के उपरांत एमएलसी रिपोर्ट के साथ एक सीलबंद पैकेट में पीड़िता के प्यूबिक हेयर, एक सीलबंद पैकेट में वैजाईनल स्लाईड, एक सीलबंद पैकेट में अंडरवियर, एक सीलबंद पैकेट ईडीटीए वायल में रक्त नमूना एवं जिला अस्पताल की नमूना सील प्राप्त हुए थे, जिन्हें थाने पर लाकर सहायक उपनिरीक्षक जगदीश मंसूरे को जप्त कराये थे। जप्ती पंचनामा प्रपी–15 है, जिसके ए से ए भाग

पर उसके हस्ताक्षर है। एमएलसी रिपोर्ट प्रपी–13 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी स्थिर रही है, कोई खंडनकारी तथ्य परिस्थिति नहीं आई है।

42. डॉ. ममता परदेशी अ.सा. 6 का न्यायालयीन कथन है कि वह दिनांक 26.05.2025 को जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना नेपानगर से महिला आरक्षक पूनम बघेल द्वारा पीड़िता को उसके समक्ष मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था। मेडिकल परीक्षण के पूर्व पीड़िता एवं उसकी मां से सहमति प्राप्त की गई थी। पीड़िता ने हिस्ट्री दी थी कि वह दिनांक 27.04.2025 को अनिल शेरसिंह के साथ अपनी मर्जी से जामनिया गांव गई, वहां से उसी दिन महाराष्ट्र के मसाली गांव अनिल के भाई के घर रही, इस बीच उन दोंनो के बीच कोई गलत संबंध नहीं बने थे। दिनांक 16.05.2025 को बुरहानपुर गायत्री मंदिर में जाकर उन्होंने शादी की थी, इसके बाद कल (25.05.2025) शाम 4:30 बजे वह थाने आ गये। सामान्य परीक्षण बीपी, पल्स तापमान फेपड़े, पेट सभी सामान्य था, अंतिम माहवारी दिनांक 28.04.2025 को आना पीड़िता ने बताया था। पीड़िता को यू.पी.टी. टेस्ट की सलाह दी गई थी, बाहरी परक्षण में द्वितीय लैंगिक लक्षण पूर्ण रूप से विकसीत थे, प्यूबिक हेयर, बगल के बाल उपस्थित थे, शरीर पर बाहरी एवं अंदरूनी अंगो पर कोई चोट नहीं पाई गई थी एवं हाईमन झिल्ली अनुपस्थित (ओल्ड रेप्चर्ड) थी। बलात्कार के संबंध में कोई निश्चित अभिमत नहीं दिया जा सकता। पीड़िता की दो वैजाईनल स्लाईड तैयार की गई, कार्ड निले कलर की अंडरवियर प्राप्त की गई, प्यूबिक हेयर प्राप्त किये, डीएनए परीक्षण हेतु 3 एमएल रक्त नमूना लिया गया। उपरोक्त सभी नमूनों को सील साईन कर नमूना सील सहित साथ आये आरक्षक को आगे के परीक्षण हेतु सौप दिया था। उसके द्वारा दी गई मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 13 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर एवं बी से बी भाग पर पीड़िता का नाम पता लिखा होकर सी से सी भाग पर साथ आये आरक्षक के हस्ताक्षर है। पीड़िता का डीएनए

परीक्षण हेतु रक्त नमूना लेने हेतु रक्त नमूना प्रमाणन फार्म प्र.पी. 14 तैयार किया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

43. सहायक उपनिरीक्षक, जगदीश प्रसाद मंसूरे अ.सा. 7 का न्यायालयीन कथन है कि वह दिनांक 27.05.2025 को थाना नेपानगर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना नेपानगर के अपराध क्र. 230/2025 में पीड़िता को महिला आरक्षक पूनम मेडिकल परीक्षण हेतु जिला अस्पताल ले गयी थी। मेडिकल परीक्षण के पश्चात् एक सीलबंद पैकेट में पीड़िता के प्यूबिक हेयर, एक सीलबंद पैकेट में वैजाइनल स्लाईड, एक सीलबंद पैकेट में अंडरवियर, एक सीलबंद पैकेट में ईडीटीए वायल में रक्त नमूना एवं जिला अस्पताल की नमूना सील लाकर उसके समक्ष प्रस्तुत किये थे। उसके द्वारा आरक्षक अक्षय एवं सैनिक विजय के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रपी-15 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

44. प्रधान आरक्षक, संदीप पटेल अ.सा. 08 का न्यायालयीन कथन है कि वह दिनांक 27.05.2025 को थाना नेपानगर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना नेपानगर के अपराध क्र. 230/2025 में अभियुक्त अनिल को मेडिकल परीक्षण हेतु सीएचसी नेपानगर ले गया था। मेडिकल परीक्षण के बाद उसे एमएलसी रिपोर्ट के साथ एक सीलबंद पैकेट में अभियुक्त अनिल के प्यूबिक हेयर, एक सीलबंद पैकेट में सीमन स्लाईड, एक सीलबंद पैकेट में अंडरवियर, एक सीलबंद पैकेट में रक्त नमूना एवं नमूना सील प्राप्त हुए थे, जिन्हें थाने पर लाकर सहायक उपनिरीक्षक जगदीश मंसूरे को जप्त कराये थे। जप्ती पंचनामा प्रपी-16ए के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

45. डॉ. कनिष्क अ.सा. 04 का न्यायालयीन कथन है कि वह दिनांक 27.05.2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नेपानगर, जिला बुरहानपुर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना नेपानगर, जिला बुरहानपुर से प्रधान

आरक्षक संदीप पटेल द्वारा आरोपी अनिल डावर को उसके समक्ष मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया था। आरोपी के सीधे हाथ पर महाकॉल हिंदी में नाम का टेटू गुंदा हुआ था, जिसे पहचान के रूप में चिन्हित किया था। आरोपी के परीक्षण पर पाया था कि द्वितीय लैंगिक लक्षण पूर्ण रूप से विकसित थे, प्यूबिक हेयर, बगल के बाल पूर्ण रूप से विकसित थे, उसकी पेनिस के शेप एवं साईज सामान्य था, शारीरिक स्थिति एवं कद काठी सामान्य थी। परीक्षण के दौरान उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। परीक्षण के दौरान अभियुक्त की अंडरगारमेंट मेहरून कलर की प्राप्त की, सीमन स्लाईड तैयार की गई, प्यूबिक हेयर प्राप्त किए गए एवं रक्त नमूना लिया गया था। उपरोक्त सभी नमूनों को सील साईन कर साथ आये प्रधान आरक्षक के सुपुर्द किये थे। परीक्षण के दौरान ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया कि आरोपी संभोग करने में असक्षम था। उसके द्वारा दी गई ऑनलाईन परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 9 होकर लगातार 7 पृष्ठों में है, जिसके अंतिम पृष्ठ के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियुक्त का डीएनए परीक्षण हेतु रक्त नमूना लेने के संबंध में रक्त नमूना प्रमाणन फार्म प्र.पी. 10 तैयार किया था, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में डॉक्टर साक्षी स्थिर एवं विश्वसनीय रहा है, कोई खंडनकारी परिस्थिति नहीं आई है। अतः अभियुक्त अनिल संभोग करने में सक्षम होने का तथ्य प्रमाणित हुआ है।

46. सहायक उपनिरीक्षक, जगदीश प्रसाद मंसूरे अ.सा. 7 का न्यायालयीन कथन है कि वह दिनांक 27.05.2025 को थाना नेपानगर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्र. 230/2025 में अभियुक्त अनिल को प्रधान आरक्षक संदीप मेडिकल परीक्षण हेतु सीएससी नेपानगर ले गया था। मेडिकल परीक्षण के बाद अस्पताल से एक सीलबंद पैकेट में अभियुक्त अनिल के प्यूबिक हेयर, एक सीलबंद पैकेट में सीमन स्लाईड, एक सीलबंद पैकेट में अंडरवियर, एक सीलबंद पैकेट में ईडीटीए वायल में रक्त नमूना एवं अस्पताल की नमूना सील लाकर उसके समक्ष प्रस्तुत किए थे। उसके द्वारा आरक्षक अक्षय एवं

सैनिक विजय के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रपी–16ए तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

47. आरक्षक, संतोष जाधव अ.सा. 11 का न्यायालयीन कथन है कि वह दिनांक 30.05.2025 को थाना नेपानगर में आरक्षक के पद पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रपी–19 का ड्राफ्ट एवं उसमें उल्लेखित नमूनें लेकर क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला झुमरघाट राउ इंदौर जमा करने के लिए गया था, जहां पर ड्राफ्ट एवं नमूनें जमा किए थे, वहां से प्रपी–20 की रसीद प्राप्त हुई थी, जो थाने पर लाकर दी थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी संकलित नमूनों को ड्राफ्ट प्रदर्श पी–19 सहित ले जाकर क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला झूमरघाट राउ इंदौर में जमा करना और उसकी जमा रसीद प्रदर्श पी–20 को प्रमाणित किया है। उक्त साक्षी के द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्यवाही की गई है, अतः उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि प्रतिपरीक्षण में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं ला सकी है कि पदीय कर्तव्य से अतिरिक्त कार्य माना जा सके।

48. बचाव साक्षी सूर्यभान (ब.सा.–1) के न्यायालयीन कथन है कि दिनांक 16.05. 2025 को अनिल पिता शेरसिंह डावर निवासी ग्राम जामुनिया, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर एवं पीड़िता ने गायत्री संस्था ट्रस्ट में शादी हेतु आये थे। बालिग होने के संबंध में अनिल एवं पीड़िता ने स्कूल की मार्कशीट दी थी, जिसमें वह बालिग थे तथा आधार कार्ड एवं नोटराईज्ड शपथपत्र भी दिया था तथा विवाह होने पर चार साक्षी भी प्रस्तुत किए थे, उनके आधार कार्ड भी उसके द्वारा लिये गये थे, जिसके आधार पर उसने अनिल पिता शेरसिंह एवं पीड़िता का विवाह कराया था। विवाह दिनांक 16.05.2025 को शुक्रवार तिथि चतुर्थी में संपन्न कराया था, जिसके संबंध में उसके द्वारा श्री गायत्री संस्थान ट्रस्ट बुरहानपुर म.प्र. का रजिस्ट्रेशन क्र. 03–16–17 दिया था, जिसका मूल प्रमाणपत्र प्रडी–18 एवं छायाप्रति प्रडी–18सी है। गायत्री संस्कार ट्रस्ट में प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन फार्म क्र. 107 प्रडी–19 एवं प्रडी–20

है। पीड़िता का नोटराईज्ड शपथपत्र प्रडी–21 एवं अनिल का शपथपत्र प्रडी–22 है, जिसकी छायाप्रति प्रडी–19सी, प्रडी–20सी, प्रडी–21सी एवं प्रडी–22सी है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी दिनांक 16.05.2025 को पीड़िता एवं अभियुक्त के मध्य विवाह संस्कार संपन्न कराना और प्रमाण पत्र जारी करना प्रमाणित किया है।

49. यहाँ पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि डीएनए रिपोर्ट प्र.पी. 21 में अभियोक्त्री के स्त्रोत प्यूबिक हेयर प्रदर्श–ए(इ/1395) से प्राप्त पुरूष (व्हाय) डीएनए प्रोफाइल, अभियुक्त अनिल के स्त्रोत रक्त नमूना प्रदर्श एच.(इ/1402) से प्राप्त पुरूष (व्हाय) डीएनए प्रोफाइल के समान होने की रिपोर्ट अंकित करते हुऐ राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र.पी. 21 के अनुसार डीएनए रिपोर्ट सकारात्मक होना पाया गया है।

50. अभियोजन की ओर से तर्क किया गया है कि प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट प्र. पी. 21 के अनुसार परिणाम धनात्मक है। डीएनए रिपोर्ट वैज्ञानिक रिपोर्ट है, इसके आधार पर दोषसिद्धी की जा सकती है। जबकि बचाव पक्ष की और से तर्क किया गया है कि डीएनए रिपोर्ट मात्र पुष्टिकारक साक्ष्य है। पीड़िता के स्त्रोत वेजाईनल स्लाइड प्रदर्श–बी(इ/1396) तथा अंडरवियर प्रदर्श–सी(इ/1397) के लिये गये नमूने से पुरूष (व्हाय) क्रोमोसोमल एसटीआर प्रोफाइल से कोई धनात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुऐ है। अन्य संकलित नमूने को मामले में साक्ष्य एकत्र करने के लिए बढ़ाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। पीड़िता ने धारा 183 बीएनएसएस के कथन में स्पष्ट कथन किए है कि बालिग होने के बाद विवाह किया है उसके पूर्व कोई संबंध नहीं बने है, न अपराध घटित हुआ है। पीड़िता के पिता अ.सा. 1 एवं पीड़िता की माता अ.सा. 2 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि पीड़िता दिनांक 16.05.2025 के पूर्व आई थी उस समय समझौता हो गया था और अस्सी हजार रू. प्राप्त कर लिये थे, यदि उस समय कोई रिपोर्ट लिखाई गई होती तो पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए थी। पीड़िता के पिता एवं माता ने

प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसकी लड़की भागकर गई थी और शादी करके आई थी उस समय बालिग थी। यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त उनके कुल एवं समाज का है इसलिये उसकी पुत्री की शादी नहीं कराई तथा पुत्री के भाग जाने से समाज में बदनामी हो रही थी, इस कारण यह रिपोर्ट लिखा दी है। पीड़िता स्वयं ने भी प्रतिपरीक्षण में उक्त तथ्यों को स्वीकार किया है। अतः अभियोजन साक्ष्य से मामला प्रमाणित नहीं है। अतएव अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित करने का निवेदन किया गया।

51. उभयपक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य विश्लेषण कि दृष्टि से पीड़िता अ.सा. 3 के कथन सारवान है, घटना के संबंध में पीड़िता के माता एवं पिता के कथन उसके बताये अनुसार है। पीड़िता अ.सा. 3 ने यद्यपि न्यायालयीन कथन में मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त उसे ब्लेकमेल करता था और धमकियां दे रहा था और बोला कि ''उसके साथ नहीं गई तो मर जायेगा।'' इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उक्त तथ्य न तो पीड़िता के पुलिस कथन प्र.डी. 17 में है और ना ही धारा 183 बीएनएसएस के कथन प्र.डी. 16 में है, अतः उक्त तथ्य प्रथम बार है।

52. यह भी महत्वपूर्ण है कि स्वयं पीड़िता के प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 के अनुसार पीड़िता अभियुक्त अनिल से पूर्व से फोन पर बात करती थी तथा घर से जाने वाले दिन भी फोन से बात होने के बाद स्वयं निकली थी, अपनी मर्जी से घर का दरवाजा खोलकर रात्री अमुल्ला खुर्द गांव लगभग एक–आधा कि.मी. दूर अकेले पैदल गई थी, उस समय घर पर सभी लोग सोऐ हुऐ थे। पीड़िता अ.सा. 3 ने प्रतिपरीक्षण की पैरा 6 में इस आशय के कथन किये है कि जब वह दूसरी बार अभियुक्त के साथ घर से निकली थी तब वह अमुल्ला खुर्द से मोटरसायकल पर बैठकर अकेली खकनार होते हुए सिरपुर आई थी और सिरपुर में रात रूकी थी। उसने रास्ते में कोई प्रतिरोध नहीं किया और ना ही मोटरसायकल से कुदने का

प्रयास किया। दूसरे दिन भी अभियुक्त के साथ मोटरसायकल से गई थी और उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। साक्षी ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि घटना के पूर्व से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था इसलिये उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, अतः उक्त परिस्थितियों में पीड़िता को किसी धमकी एवं भय के अधीन ले जाने का तथ्य खंडित हो जाता है

53. पीड़िता ने प्रतिपरीक्षण की पैरा 7 में स्वीकार किया है कि जब वह दूसरी बार अभियुक्त के साथ निकली थी तब अपनी मर्जी से घर के उसके स्कूल के सारे दस्तावेज, कपड़े बेग में पैक कर अपनी मर्जी से माता–पिता को बताये बिना अभियुक्त के साथ मोटरसायकल से गई थी। पीड़िता के पिता अ.सा. 1 एवं पीड़िता की माता अ.सा. 2 ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जब प्रथम बार पीड़िता गई थी उस समय वह सभी लोग घर में थे ओर पीड़िता बिना बताये गई थी। अतः उक्त संपूर्ण परिस्थितियों में पीड़िता का अभियुक्त के द्वारा किसी भय धमकी के अंतर्गत ले जाने का तथ्य खंडित हो जाता है। पीड़िता के पिता अ.सा. 1 ने प्रतिपरीक्षण की पैरा 12 एवं पीड़िता की माता अ.सा. 2 ने प्रतिपरीक्षण की पैरा 7 में यह व्यक्त किया है कि जब पीड़िता दस्तयाब होकर पुलिस थाने पर आई थी तब उसने अपने माता–पिता के साथ से मना कर दिया था, यहां तक की उनसे बात करने से भी मना कर दिया था, उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अभियुक्त के साथ रहना चाहती है। उक्त तथ्यों से भी अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के साथ बलात्संग अथवा गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक का अपराध कारित करने का तथ्य संदेहास्पद हो जाता है, क्योंकि किसी अपराध की पीड़िता, अभियुक्त के साथ रहना नहीं चाहेगी।

54. प्रकरण में जहां तक अभियुक्त जैमाल के द्वारा मुख्य अभियुक्त अनिल को अपराध कारित करने में सक्रिय सहयोग कारित करने के संबंध का प्रश्न है ? इस संबंध में उल्लेखनीय है कि यह अविवादित है कि दिनांक 16.05.2025 को पीड़िता

ने बालिग होने के पश्चात अभियुक्त अनिल से विवाह कर लिया है। यह भी उल्लेखनीय है कि पीड़िता ने प्रतिपरीक्षण की पैरा 4 में स्वीकार किया है कि जब वह वयस्क हो गई, शादी के पूर्व कोर्ट आई वहां पर नोटराईज शपथ पत्र तैयार हुआ जिस पर उसने हस्ताक्षर किये ओर वहां से जाकर शादी की थी ओर प्रमाण पत्र लिया था तथा प्र.पी. 5 के पैरा में बचाव पक्ष द्वारा प्र.डी. 1 लगायत 15 के फोटोग्राफ दिखाकर पूछे जाने पर पीड़िता अपनी मर्जी से स्वेच्छा एवं प्रसन्न होकर विवाह करना दर्शित हुई है। पीड़िता अ.सा. 3 ने प्रतिपरीक्षण की पैरा 7 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह लोग शादी करके महाराष्ट्र गये थे तो अभियुक्त के भाई को पुलिस वालो ने फोन लगाया था। इस प्रकार जबकि विवाह करने के पश्चात अभियुक्त अनिल एवं पीड़िता सह अभियुक्त जैमाल के घर गये थे, तब ऐसी स्थिति में वयस्क महिला एवं पुरूष के विवाह के पश्चात घर में रखना अवैधानिक कार्य नहीं है। अतः पीड़िता के उक्त तथ्यों से अभियुक्त जैमाल के द्वारा सह अभियुक्त अनिल को अपराध कारित करने में सक्रिय सहयोग कारित करने का तथ्य खंडित हो जाता है।

55. पीड़िता अ.सा. 3 ने मुख्यपरीक्षण में अभियुक्त अनिल के द्वारा उसके भाई जैमाल के घर ले जाना और पत्नी की तरह रखना ओर जबरजस्ती करना बताया है। पीड़िता अ.सा. 3 के मुख्यपरीक्षण के कथन में विवाह के पूर्व संबंध बनाने के संबंध में कोई भी स्पष्ट कथन तथ्य परिस्थिति नहीं है। इस संबंध में प्रतिपरीक्षण की पैरा 7 उल्लेखनीय है, जिसमें साक्षी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह लोग शादी करके महाराष्ट्र गये थे। पीड़िता ने स्पष्ट कथन किये है कि पीड़िता एवं अन्य अभियोजन साक्षीगण तथा बचाव साक्षी सूर्यभान ब.सा. 1 के कथन से यह प्रमाणित है कि दिनांक 16.05.2025 को पीड़िता एंव अभियुक्त अनिल वयस्क थे ओर शादी करने के लिए सक्षम थे। स्वयं पीड़िता के कथन के मुताबिक दिनांक 16.05.2025 के पश्चात वह अभियुक्त के भाई जैमाल के घर गये थे, इस प्रकार वयस्क पीड़िता के विवाह करने के पश्चात पति–पत्नी के रूप में बनाये गये संबंध से कोई

अपराध कारित होना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण से पीड़िता का स्वयं की मर्जी से स्वेच्छया विवाह करना और अपनी मर्जी से जाना निष्कर्षित हुआ है। अतः जोर जबरजस्ती से संबंध बनाने एवं अपराध कारित करने का तथ्य खंडित हो जाता है।

56. डॉ. ममता परदेशी अ.सा. 6 ने पीड़िता के मेडिकल परीक्षण करना एवं पीड़िता के बताये अनुसार हिस्ट्री लिखना बताते हुए प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मेडिकल परीक्षण में पीड़िता को कोई चोटे नहीं पाई थी, जो कि सहमति से संबंध बनाने को दर्शित करती है।

57. पीड़िता के पिता अ.सा. 1 एवं पीड़िता की माता अ.सा. 2 के कथन, पीड़िता के बताये अनुसार है। परंतु जब स्वयं पीड़िता अ.सा. 3 के कथनो में तात्विक बिन्दुओं पर विरोधाभाष, विलुप्ति एवं विसंगति तथा खंडनकारी परिस्थितियां है। इसके अतिरिक्त पीड़िता के प्रतिपरीक्षण में विवाह के पूर्व संबंध बनाने के संबंध में मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नहीं है ओर प्रतिपरीक्षण में खंडनकारी कथन है। पीड़िता की माता अ.सा. 2 ने प्रतिपरीक्षण की पैरा 7 की अंतिम लाईन में यह बताया है कि उसकी लड़की पीड़िता ने उसे घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। तब ऐसी स्थिति में उक्त साक्षीगण के कथनो से भी अभियोजन का कोई समर्थन नहीं होता है।

58. उभयपक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में पीड़िता के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये धारा 183 बीएनएसएस का कथन प्र.डी. 16 घटना के संबंध में महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लिये गये कथन स्वेच्छया बिना किसी भय दबाव के एवं सही होने की उपधारणा की जा सकती है। पीड़िता अ.सा. 3 के धारा 183 बीएनएसएस के कथन प्र.डी. 16 में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि अभियुक्त अनिल ओर उसके बीच किसी प्रकार का कोई शारीरिक संबंध नहीं बना है, वह और अभियुक्त अनिल बालिग है और उन दोंनो ने बुरहानपुर में गायत्री

मंदिर में राजीमर्जी से दिनांक 16.05.2025 को शादी कर ली है और उसके वयस्क होने के बाद ही उन्होंने शारीरिक संबंध बनाये, उससे पहले अभियुक्त अनिल ने उसके साथ कोई जबरजस्ती नहीं की है ओर ना ही शारीरिक संबंध बनाये है, वह उसकी पसंद के अभियुक्त अनिल के साथ रहना चाहती है अनिल उसे बहला फुसलाकर नहीं ले गया वह अपनी मर्जी से अनिल के साथ गई थी ओर उसने उसके साथ कोई गलत कृत्य नहीं किया है। पीड़िता अ.सा. 3 के उक्त कथन से अभियोजन मामले का पूर्णतः खंडन होता है।

59. अतः उक्त संपूर्ण विश्लेषण से पीड़िता अ.सा. 3 के प्रतिपरीक्षण में खंडनकारी परिस्थितियां है। धारा 183 बीएनएसएस के कथन में पीड़िता ने स्वेच्छया अपनी मर्जी से अभियुक्त अनिल के साथ जाना और दिनांक 16.05.2025 को बालिग होने के बाद शादी होना और वयस्क होने के बाद पति–पत्नी की तरह संबंध बनाना, उसके पूर्व कोई संबंध नहीं बनना बताया है। उक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन मामले का स्वयं पीड़िता अ.सा. 3 के प्रतिपरीक्षण के तथ्य एवं धारा 183 बीएनएसएस के कथन से खंडन होने से अभियेाजन मामले को संदेह से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि मेडिकल परीक्षण के समय पीड़िता के द्वारा डॉक्टर के समक्ष बताई गई हिस्ट्री में भी स्वेच्छया अपनी मर्जी से अभियुक्त अनिल के साथ जाना और दिनांक 16.05.2025 को बालिग होने के बाद शादी होना और वयस्क होने के बाद पति–पत्नी की तरह संबंध बनाना, उसके पूर्व कोई संबंध नहीं बनना बताया है। अतः भिन्न चरणो पर ओर भिन्न प्रक्रमों पर पीड़िता ने अभियुक्तगण के द्वारा अपराध करने का खंडन किया है। अतः न्यायालयीन कथन अविश्वसनीय हो जाते है।

60. उभयपक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त विश्लेषण में अभियोक्त्री को 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग होना प्रमाणित नहीं पाया गया है, तब ऐसी स्थिति में सम्मति का तथ्य विचारणीय हो जाता है। भारतीय न्याय संहिता,

2023 की धारा 63 की परिभाषा खंड के संबंध में बलात्संग का तथ्य विचारणीय है। इसके विपरीत पीड़िता ने धारा 183 बीएनएसएस के कथन प्र.डी. 16 में अभियुक्त अनिल के द्वारा बलात्संग का खंडन किया है। इस प्रकार बालिका द्वारा घटना से इंकार करने के परिणामस्वरूप अभिलेख पर आरोपित अपराध के संबंध में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य परिस्थितिजन्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य पर विचार किया जाना समुचित होगा। अतः अभिलेख पर अधिनियम, 2023 की धारा 64 के अपराध के संबंध में कोई भी तथ्य परिस्थिति अथवा साक्ष्य नहीं है। तथापि तर्क हेतु डीएनए रिपोर्ट प्र.पी. 21 के सकारात्मक परिणाम का अग्रिम विश्लेषण किया जा रहा है।

61. यद्यपि राज्य न्यायालयीक विज्ञान प्रयोग शाला की रिपोर्ट प्र.पी. 21 के अनुसार डीएनए रिपोर्ट सकारात्मक होने के संबंध में महत्वपूर्ण है कि अभियोक्त्री के स्त्रोत प्यूबिक हेयर प्रदर्श–ए(इ/1395) से प्राप्त पुरूष (व्हाय) डीएनए प्रोफाइल, अभियुक्त अनिल के स्त्रोत रक्त नमूना प्रदर्श एच.(इ/1402) से प्राप्त पुरूष (व्हाय) डीएनए प्रोफाइल के समान होने की रिपोर्ट है। परंतु उल्लेखनीय है कि बालिग होने के पश्चात विवाह के बाद सम्मति से बने संबंध अपराध की कोटी में नहीं आते है। यह भी महत्वपूर्ण है कि वेजाइनल स्लाइड अथवा अंडरवियर में कोई भी अपराध के चिन्ह नहीं पाये गये है। पीड़िता ने न्यायालयीन कथन में किसी भी नमूना संकलन के संबंध में कोई कथन नहीं किये है। परिणामतः पीड़िता के अविश्वसनीय कथन के पश्चात भी नमूना संकलन का कोई कथन नहीं करने से उक्त डीएनए रिपोर्ट से भी अभियुक्त की दोषसिद्धी किया जाना उचित नहीं है।

62. अभियोजन साक्ष्य से घटना दिनांक को अभियोक्त्री 18 वर्ष से कम आयु की होकर अवयस्क बालिका थी, यह प्रमाणित नहीं है। पीड़िता अ.सा. 3 के न्यायालयीन कथन विश्वसनीय एवं स्वभाविक नहीं रहे है। पीड़िता के पिता अ.सा. 1 एवं पीड़िता की माता अ.सा 2 के कथनो से भी अभियोजन का कोई समर्थन नहीं होता है।

पीड़िता अ.सा. 3 के कथनो में प्रतिपरीक्षण में खंडनकारी परिस्थितियां है। पीड़िता अ.सा. 3 के धारा 183 बीएनएसएस के कथन प्र.डी. 16 एवं डॉक्टर के समक्ष बताई गई हिस्ट्री में अभियोजन मामले का खंडन होता है। तथापि तर्क हेतु यदि कोई संबंध बने हो के संबंध में महत्वपूर्ण है कि दिनांक 16.05.2025 को बालिग होने के पश्चात विवाह के पश्चात स्वेच्छया सम्मति से बने संबंध अपराध की प्रकृति के नहीं है। जहां तक व्यपहरण का संबंध है, अभियोजन कथानक अनुसार अभियुक्त एवं अभियोक्त्री 1:00 बजे से 3:00 बजे के मध्य मोटरसायकल से अमुल्ला रोड़ से ठुनकी जलगांव–जामोद महाराष्ट्र गये। इस प्रकार वाहन का प्रयोग हुआ, परंतु अभियोक्त्री के द्वारा किसी से कोई शिकायत नहीं की गई। ऐसी स्थिति में अभियोक्त्री के विरूद्ध किसी बल प्रयोग अथवा धमकी देकर अथवा किसी भय में उक्त घटनाक्रम एवं यात्रा होने के कथन के अभाव में अभियोक्त्री की पूर्णतः सहमति ही निष्कर्षित होती है।

63. उक्त विश्लेषण में तर्क हेतु अथवा अग्रिम विश्लेषण हेतु यह मान भी लिया जाऐ कि अभियुक्त अनिल एवं पीड़िता के मध्य शारीरिक संबंध स्थापित हुए, तब भी उक्त संबंध सहमति का ही परिणाम है। जबकि उपरोक्त विश्लेषण में घटना दिनांक को अभियोक्त्री का अवयस्क होना प्रमाणित नहीं है, इसलिए सहमति से स्थापित हुए शारीरिक संबंध बलात्संग की श्रेणी में नहीं आता है। अतः धारा 137(2), 96, 87, 64(2)(जे), 64(2)(एम), 87 सहपठित धारा 3(5), 96 सहपठित धारा 3(5), 64(1) सहपठित धारा 49 भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत अपराध भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। अभियोक्त्री के घटना दिनांक को 18 वर्ष से कम आयु की होना प्रमाणित न होने से धारा 5(एल)/6 सहपठित धारा 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रावधान आकृष्ट नहीं होते।

64. अभियोजन पक्ष का तर्क है कि अभियुक्त अनिल के विरूद्ध धारा 137(2), 96, 87, 64(2)(जे), 64(2)(एम), भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 5(एल)

सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा अभियुक्त जैमाल के विरूद्ध धारा 87 सहपठित धारा 3(5), 96 सहपठित धारा 3(5), 64(1) सहपठित धारा 49 भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 5(एल)/6 सहपठित धारा 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप है। उक्त अपराध के संबंध में अधिनियम की उपधारणा लागू होती है, परंतु विचारणीय प्रश्न क0–1 के तहत अभियोक्त्री का घटना के समय 18 वर्ष से कम आयु की होना प्रमाणित नहीं है। तथापि अग्रिम विश्लेषण करें, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–29 व 30 निम्नानुसार है–

65. धारा 29:– कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा को परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है–

''जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7, धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने या दुष्प्रेरण करने या उसको करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया गया है। वहां विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने यथास्थिति वह अपराध किया है, दुष्प्रेरण किया या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है।''

धारा 30:– आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा को परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है–

1–इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, विशेष न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किंतु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के रूप में आपराधिक कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी

मानसिक दशा नहीं थी।

2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जायेगा, जब विशेष न्यायालय उसके युक्तियुक्त संदेह से परे विद्यमान होने पर विश्वास करता है और केवल तब नहीं, जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

स्पष्टीकरण— इस आधार में ''आपराधिक मानसिक दशा'' के अंतर्गत आशय, हेतुक, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में अविश्वास या विश्वास किए जाने का कारण भी है।

66. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से उपरोक्त विश्लेषण में पीड़िता अवयस्क होना प्रमाणित नहीं हुई है। इसी प्रकार अभियोजन अभियुक्तगण पर उपरोक्तानुसार आरोपित अपराध प्रमाणित करने में असफल रहा है, इसलिए अभियुक्तगण के विरूद्ध आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा नहीं की जा सकती। अपराध के तत्वों को प्रमाणित करने का प्राथमिक भार अभियोजन पर होता है। अपराध के तथ्य प्रमाणित होने के पश्चात् ही आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा की जा सकती है।

67. न्यायदृष्टांत ''नवीन डी. बारिये विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य 2018 सी.आर.एल. जे. 3393'' में बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है अधिनियम की धारा—29 में अभियुक्त के विरूद्ध की गई उपधारणा निरपेक्ष्य नहीं है, बल्कि खण्डन योग्य है। यह उपधारणा तब लागू होती है, जब अभियोजन प्रथमतः प्राथमिक तथ्य स्थापित करने में समर्थ हो जाता है। न्यायदृष्टांत ''State of Maharashtra v. Dnyaneshwar Laxman Rao Wankhede, (2009) 15 SCC 200 (205); Noor Aga v. State of Punjab, (2008) 16 SCC 417" and "Jayendra Vishnu Thakur v. State of Maharashtra, (2009) 7 SCC 104" में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया है कि —''that even in a case

where the burden is on the accused, the prosecution must prove the foundation facts. So in spite of the presumption of Section 29, initially the prosecution has to prove existence of ingredients constituting the offence beyond a reasonable doubt and thereafter burden of rebuttal shall shift upon the accused."

68. फलतः उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त अनिल ने घटना दिनांक 06.05.2025 को 1:00 बजे से 3:00 बजे के मध्य फरियादी का घर ग्राम मझगांव अंतर्गत थाना नेपानगर, जिला बुरहानपुर क्षेत्रांतर्गत 18 वर्ष से कम आयु की बालिका/अभियोक्त्री को उसके विधिपूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से संरक्षक की सहमति के बिना ले जाकर व्यपहरण कारित कर उक्त बालिका/अभियोक्त्री से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा, यह संभाव्य जानते हुए उक्त अभियोक्त्री को उसके माता–पिता के निवास स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित किया व उक्त बालिका/अभियोक्त्री को उसके माता–पिता/संरक्षक की विधिपूर्ण संरक्षकता में से उसकी सम्मति के बिना विवाह करने के लिए अभियोक्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए या अयुक्त संभोग करने के लिए उसका व्यपहरण या अपहरण किया तथा उक्त बालिका/अभियोक्त्री को उसके माता–पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता में से उनकी सम्मति के बिना व्यपहरण या अपहरण कर उस पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उसें अमुल्ला रोड़ से मोटरसायकल पर बिठाकर ठुनकी जलगांव–जामोद महाराष्ट्र ले जाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध एवं सम्मति के बिना कई बार सम्भोग कर बलात्संग किया एवं उक्त बालिका/अभियोक्त्र का व्यवहरण या अपहरण कर उसके साथ एक से अधिक बार प्रवेशन लैंगिक हमला कारित कर

''गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला'' कारित किया।

69. इसी प्रकार अभियोजन यह तथ्य भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त जैमाल ने घटना दिनांक 06.05.2025 को 1:00 बजे से 3:00 बजे के मध्य फरियादी का घर ग्राम मझगांव अंतर्गत थाना नेपानगर, जिला बुरहानपुर क्षेत्रांतर्गत अन्य सहअभियुक्त अनिल के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित कर 18 वर्ष से कम आयु बालिका/अभियोक्त्री को उसकी सम्मति के बिना विवाह करने के लिए उसको विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए या अयुक्त संभोग करने के लिए अभियोक्त्री को विवश या विक्षुब्ध करने के लिए या अभियोक्त्री को अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विक्षुब्ध की जाएगी, उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में अन्य सहअभियुक्त अनिल ने यह संभाव्य जानते हुए उसका व्यपहरण या अपहरण किया जिसमें सक्रिय सहयोग कारित कर उक्त बालिका/अभियोक्त्री को अन्य सहअभियुक्त अनिल के साथ मिलकर यह सामान्य आशय निर्मित किया कि उक्त बालिका/अभियोक्त्री को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा, यह संभाव्य जानते हुए उक्त अभियोक्त्री को उसके माता–पिता के निवास स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित किया, जिसमें सक्रिय सहयोग कारित किया तथा अन्य सहअभियुक्त अनिल के द्वारा उक्त बालिका/अभियोक्त्री को भगाने में सहायता कर बलात्संग करने हेतु सहायता द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध कारित किया एवं उक्त बालिका/अभियोक्त्री पर एक से अधिक बार ''प्रवेशन लैंगिक हमला'' कारित करने में सह अन्यअभियुक्त अनिल की सहायता अथवा आश्रय देकर दुष्प्रेरण का अपराध कारित किया।

70. अतः अभियुक्त अनिल पिता शेरसिंह डावर, उम्र–23 वर्ष, निवासी–जामनिया, थाना खकनार जिला बुरहानपुर (म.प्र.) को धारा 137(2), 96, 87, 64(2)(जे),

64(2)(एम), भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से एवं अभियुक्त जैमाल पिता शेरसिंह डावर, उम्र–31, निवासी–जामनिया, थाना खकनार जिला बुरहानपुर (म.प्र.) को धारा 87 सहपठित धारा 3(5), 96 सहपठित धारा 3(5), 64(1) सहपठित धारा 49 भारतीय न्याय संहिता, 2023 एवं धारा 5(एल)/6 सहपठित धारा 17 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए ''दोषमुक्त'' कर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

71. अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत धारा 481 बीएनएसएस के तहत प्रतिभूति व बंधपत्र छोड़कर विचारण के समय प्रस्तुत की गई प्रतिभूति व बंधपत्र भारमुक्त कर उन्मुक्त किया जाता है।

72. मामले में अभियुक्तगण द्वारा बितायी गयी अभिरक्षा की अवधि के संबंध में धारा 468 बीएनएसएस के तहत प्रमाण पत्र तैयार किया जावे, जो निर्णय का भाग माना जावेगा।

73. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसायकल क्र. एमपी–68 एमजे–0859 पूर्व से सुपुर्दनामे पर है, दौरान विचारण किसी अन्य व्यक्ति ने दावा नहीं किया है। अतः उक्त सुपुर्दनामा अपील अवधि पश्चात भारमुक्त समझा जावे। अपील होने पर इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशाधीन रहेगा।

74. प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल पीड़िता के प्यूबिक हेयर, वेजाइनल स्लाइड, अंडरवियर, रक्त नमूना व अस्पताल की नमूना सील एवं अभियुक्त अनिल के प्यूबिक हेयर, सीमन स्लाईड, अंडरवियर, रक्त नमूना व अस्पताल की नमूना सील को मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जावे। इस निर्णय के विरूद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार मुद्देमाल का निराकरण किया जावे।

75. प्रकरण में जप्त अभियोक्त्री के दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्र.पी. 12सी अभिलेख का भाग है, अतः अभिलेखागार में अभिलेख के भाग के रूप में जमा किया जावे। अपील होने पर इस संबंध में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

76. प्रकरण में संलग्न डीवीडी एक इलेक्ट्रानिक दस्तावेज है, अतः उसे अभिलेख के साथ ही संलग्न किया जावे।

77. यह आदेशित किया जाता है कि बालिका का नाम, पता फोटोग्राफ तथा परिवार की जानकारी एवं ऐसी अन्य विशिष्टियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी प्रकाशन न किया जाये जिससे बालिका की पहचान प्रकट हो सके।

78. प्रकरण में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण में अभियोक्त्री स्वयं के कथन मुताबिक वयस्क होने के पश्चात विवाह उपरांत पति–पत्नी के रूप में रहे है, अतः वैवाहिक संबंधो के अंतर्गत सहमति से स्थापित पति–पत्नी के संबंध को दृष्टिगत रखते हुए पीड़िता के साथ कोई अपराध घटित होना प्रमाणित नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप बालिका/अभियोक्त्री को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 33(8) के तहत किसी भी क्षतिपूर्ति हेतु किसी प्रकार की प्रतिकर राशि की अनुसंशा नहीं की जा रही है।

79. निर्णय की निःशुल्क प्रति विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को दी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित।

मेरे उद्‌बोधन पर टंकित ।

(इन्दु कान्त तिवारी)
विशेष न्यायाधीश,
(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012)
जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

INDU KANT TIWARI
Digitally signed by INDU KANT TIWARI
Date: 2026.07.31 16:02:37 +0530

(इन्दु कान्त तिवारी)
विशेष न्यायाधीश,
(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012)
जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धी	अधिरोपित दंडादेश	धारा 468 बीएनएसएस के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
पुरूष	अनिल	27.05.2025	14.08.2025	137(2), 96, 87, 64(2)(जे), 64(2)(एम), बीएनएस एवं धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट	दोषमुक्त	निरंक	दिनांक 27.05.2025 से दिनांक 14.08.2025 तक
पुरूष	जैमाल	27.05.2025	05.06.2025	धारा 87 सहपठित धारा 3(5), 96 सहपठित धारा 3(5), 64(1) सहपठित धारा 49 बीएनएस एवं धारा 5(एल)/6, सहपठित धारा 17 पॉक्सो एक्ट	दोषमुक्त	निरंक	दिनांक 27.05.2025 से दिनांक 05.06.2025 तक

प्रारूप—ड

अपराध की तारीख	06.05.2025
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	11.05.2025
अभियोग पत्र की तारीख	02.07.2025
आरोपों के विरचना की तारीख	07.07.2025
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	06.08.2025
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	31.07.2026
निर्णय की तारीख	31.07.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	निरंक

प्रारूप—च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क.—अभियोजन :—

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)**
अ.सा.—01	पीड़िता का पिता	रिपोर्टकर्ता साक्षी

अ.सा.–02	पीड़िता की माता	अनुश्रुत साक्षी
अ.सा.–03	पीड़िता	पीड़ित स्वयं
अ.सा.–04	डॉ. कनिष्क	चिकित्सक साक्षी
अ.सा.–05	भुवानसिंह डावर, प्रभारी प्राचार्य	पीड़िता की उम्र संबंधी दस्तावेजों का साक्षी
अ.सा.–06	डॉ. ममता परदेशी	महिला चिकित्सक
अ.सा.–07	जगदीश प्रसाद मंसूरे, स.उ.नि.	पीड़िता एवं आरोपी अनिल के आर्टिकल जप्तीकर्ता साक्षी
अ.सा.–08	संदीप पटेल, प्रधान आरक्षक	आरोपी अनिल का मेडिकल कराने का साक्षी
अ.सा.–09	हेमेन्द्रसिंह चौहान, उपनिरीक्षक	विवेचक / अनुसंधानकर्ता साक्षी
अ.सा.–10	मनीष पटेल, उपनिरीक्षक	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्धकर्ता / विवेचक / अनुसंधानकर्ता साक्षी
अ.सा.–11	संतोष जाधव, आरक्षक	प्रयोगशाला में नमूने एवं ड्राफ्ट जमाकर्ता साक्षी
अ.सा.–12	पूनम बघेल, महिला आरक्षक	पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु अस्पताल ले जाने की साक्षी

ख. – प्रतिरक्षा साक्षी यदि कोई हो :–

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)**
ब.सा.–01	सूर्यभान	अन्य साक्षी

ग.– न्यायालयीन साक्षी यदि कोई हो :– नहीं।

<u>अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची</u>

क.–अभियोजन :–

स.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्रदर्श पी–1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी–2	गुमशुदा व्यक्ति का पंजीकरण
3	प्रदर्श पी–3	घटना स्थल का नक्शामौका
4	प्रदर्श पी–4	दस्तयाबी पंचनामा
5	प्रदर्श पी–5	आरोपी अनिल का गिरफ्तारी पत्रक

6	प्रदर्श पी–6	आरोपी जैमाल का गिरफ्तारी पत्रक
7	प्रदर्श पी–7	आरोपी अनिल का मेमो रेण्डम कथन
8	प्रदर्श पी–8	मोटरसायकल क्र. एमपी–68 एमजे–0859 का जप्ती पत्रक
9	प्रदर्श पी–9	आरोपी अनिल की ऑनलाईन टाईपशुदा एमएलसी रिपोर्ट
10	प्रदर्श पी–10	आरोपी अनिल का रक्त नमूना प्रमाणन फार्म
11	पदर्श पी–11	पीड़िता का उम्र संबंधी दस्तावेजों का जप्ती पत्रक
12	प्रदर्श पी–12	मूल दाखिल खारिज रजिस्टर
	प्रदर्श पी–12सी	दाखिल खारिज रजिस्टर की सत्यापित प्रति
13	प्रदर्श पी–13ए	पीड़िता का मुलाहिजा फार्म
	प्रदर्श पी–13	पीड़िता की एमएलसी रिपोर्ट
14	प्रदर्श पी–14	पीड़िता का रक्त नमूना प्रमाणन फार्म
15	प्रदर्श पी–15	पीड़िता के आर्टिकल का जप्ती पत्रक
16	प्रदर्श पी–16	पीड़िता से संबंधित स्कूल को जारी पत्र
	प्रदर्श पी–16ए	आरोपी अनिल के आर्टिकल का जप्ती पत्रक
17	प्रदर्श पी–17	पीड़िता के धारा 183 बीएनएसएस के कथन हेतु जारी पत्र
18	प्रदर्श पी–18	आरोपीगण की गिरफ्तारी की सूचना
19	प्रदर्श पी–19	प्रयोग शाला को प्रेषित ड्राफ्ट की प्रति
20	प्रदर्श पी–20	ड्राफ्ट जमा रसीद
21	प्रदर्श पी–21	डीएनए परीक्षण रिपोर्ट

ख.–प्रतिरक्षा प्रदर्श की सूची :–

स.क्र.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	प्रदर्श डी–1 लगायत प्र.डी. 15	आरोपी अनिल एवं पीड़िता के फोटोग्राफ्स
2	प्रदर्श डी–16	पीड़िता के धारा 183 बीएनएसएस के तहत कथन
3	प्रदर्श डी–17	पीड़िता के पुलिस कथन

4	प्रदर्श डी–18	मूल विवाह प्रमाण पत्र
	प्रदर्श डी–18सी	विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति
5	प्रदर्श डी–19	आरोपी अनिल का मूल रजिस्ट्रेशन फार्म
	प्रदर्श डी–19सी	आरोपी अनिल के रजिस्ट्रेशन फार्म की सत्यापित प्रति
6	प्रदर्श डी–20	पीड़िता का मूल रजिस्ट्रेशन फार्म
	प्रदर्श डी–20सी	पीड़िता के रजिस्ट्रेशन फार्म की सत्यापित प्रति
7	प्रदर्श डी–21	पीड़िता का नोटराईज्ड मूल शपथ पत्र
	प्रदर्श डी–21सी	पीड़िता का नोटराईज्ड शपथ पत्र की सत्यापित प्रति
8	प्रदर्श डी–22	आरोपी अनिल का नोटराईज्ड मूल शपथ पत्र
	प्रदर्श डी–22सी	आरोपी अनिल के नोटराईज्ड शपथ पत्र की सत्यपित

ग.–न्यायालयीन प्रदर्श की सूची :– नहीं।

घ.– आवश्यक वस्तुऐं :– डीवीडी

INDU KANT TIWARI
Digitally signed by INDU KANT TIWARI
Date: 2026.07.21 16:02:45 +0530

(इन्दु कान्त तिवारी)
विशेष न्यायाधीश,
(लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012)
जिला–बुरहानपुर (म.प्र.)